

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020—भाद्रपद 20, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आबिद मोहम्मद अंसारी आत्मज श्री हाजी शेख अब्बास, उम्र 64 वर्ष, निवासी- क्वा. नं.-18 डी., सड़क-11, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा लघु नाम ए. एम. अंसारी (A. M. ANSARI) दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम आबिद मोहम्मद अंसारी है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मेरा वास्तविक नाम आबिद मोहम्मद अंसारी (ABID MOHAMMED ANSARI) दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे आबिद मोहम्मद अंसारी (ABID MOHAMMED ANSARI) आत्मज श्री हाजी शेख अब्बास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ए. एम. अंसारी
(A. M. ANSARI)
पिता-श्री हाजी शेख अब्बास
निवासी-क्वा. नं.-18 डी.,
सड़क-11, सेक्टर-1, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

आबिद मोहम्मद अंसारी
(ABID MOHAMMED ANSARI)
पिता-श्री हाजी शेख अब्बास
निवासी-क्वा. नं.-18 डी.,
सड़क-11, सेक्टर-1, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद रफीक आत्मज शेख फते अहमद, उम्र 53 वर्ष, निवासी-मकान नं.-1002/01, पंचशील नगर (पश्चिम), वार्ड नं.-19, बी. एम. वाई. चरोदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन नं. 490025 का हूँ। यह कि मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे में कार्यरत हूँ। मेरे विभाग के मेडिकल कार्ड में मेरा नाम MD RAFIQUE, मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मोहम्मद रफीक (MOHD RAFIQUE) आ. शेख फते अहमद (Shekh fatthe Ahmad) तथा अन्य दस्तावेजों में एम.डी. रफीक (M. D. Rafik) आ. शेख फते अहमद (Shekh Fatte Ahmad), Mohammad Rafique आ. fathe Ahmad तथा मेरे आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम शेख फतेह अहमद (Shekh fateh Ahmad) दर्ज है, जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम शेख फते अहमद (Sheikh fatte Ahmad) है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद रफीक Mohammad Rafique रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे मोहम्मद रफीक (Mohammad Rafique) आत्मज शेख फते अहमद (Sheikh fatte Ahmad) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मोहम्मद रफीक (MOHD Rafique)
एम. डी. रफीक (M. D. Rafik),
M D Rafique,
पिता-शेख फते अहमद
S/o-Shekh Fatthe Ahmad,
Shekh fatte Ahmad,
शेख फतेह अहमद
Shekh Fateh Ahmad,
fathe Ahmad
निवासी-मकान नं.-1002/01, पंचशील नगर (पश्चिम),
वार्ड नं.-19, बी. एम. वाई.चरोदा, तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन नं.-490025

नया नाम

मोहम्मद रफीक
(Mohammad Rafique)
पिता-शेख फते अहमद
(S/o-Sheikh Fatte Ahmad)
निवासी-मकान नं.-1002/01,
पंचशील नगर (पश्चिम),
वार्ड नं.-19, बी. एम. वाई.चरोदा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन नं.-490025

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अकील कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल शमी कुरैशी, उम्र 45 वर्ष, निवासी-मकान नं.-बी-535, सड़क नं.-4, बी एस आर अपोलो अस्पताल के पास, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम आलिया कुरैशी था, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व शालेय अभिलेखों में दर्ज है। मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम आलिया फातिमा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरी पुत्री को आलिया फातिमा (ALIYA FATIMA) आत्मजा श्री अकील कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

आलिया कुरैशी (ALIYA QURAIISHI)
पिता-श्री अकील कुरैशी
निवासी-मकान नं.-बी-535, सड़क नं.-4,
बी एस आर अपोलो अस्पताल के पास,
स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

आलिया फातिमा (ALIYA FATIMA)
पिता-श्री अकील कुरैशी
निवासी-मकान नं.-बी-535, सड़क नं.-4,
बी एस आर अपोलो अस्पताल के पास,
स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र कुमार भतरिया आत्मज स्व. मोहन लाल भतरिया, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-3/बी, सड़क-23, सेक्टर-01, थाना-भिलाई भट्टी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन-490001 का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार था तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “भतरिया” जोड़कर नया नाम/उपनाम नरेन्द्र कुमार भतरिया रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे नरेन्द्र कुमार भतरिया आत्मज स्व. मोहन लाल भतरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नरेन्द्र कुमार
पिता-स्व. मोहन लाल भतरिया
निवासी-क्वाटर नं.-3/बी,
सड़क-23, सेक्टर-01,
थाना-भिलाई भट्टी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-490001

नया नाम

नरेन्द्र कुमार भतरिया
पिता-स्व. मोहन लाल भतरिया
निवासी-क्वाटर नं.-3/बी,
सड़क-23, सेक्टर-01,
थाना-भिलाई भट्टी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-490001

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भीकम साहू आत्मज श्री ध्रुव साहू उम्र 37 वर्ष, निवासी-मकान नं.-599, सिरसाखुर्द, जेवरा सिरसा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम भीखम (Bheekham) आत्मज श्री ध्रुव दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिताजी का पूर्ण नाम श्री ध्रुव साहू है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम भीकम साहू (Bhikam Sahu) आत्मज श्री ध्रुव साहू (Shri Dhruv Sahu) रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे भीकम साहू (Bhikam Sahu) आत्मज श्री ध्रुव साहू (Shri Dhruv Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

भीखम (Bheekham)
पिता- श्री ध्रुव (S/o -Shri Dhruv)
निवासी-मकान नं.-599,
सिरसाखुर्द, जेवरा सिरसा,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

भीकम साहू
(Bhikam Sahu)
पिता- श्री ध्रुव साहू
(S/o-Shri Dhruv Sahu)
निवासी-मकान नं.-599,
सिरसाखुर्द, जेवरा सिरसा,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता जोशी ध. प. श्री विभाकर जोशी, निवासी-एम. आई. जी. 66, गौतम बिहार देवपुरी, तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.) की हूँ यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. ममता देशलहरा आत्मजा श्री पुनूराम देशलहरा था. मेरा विवाह दिनांक 16-12-2016 को श्री विभाकर जोशी के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ममता जोशी रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब मुझे श्रीमती ममता जोशी ध. प. श्री विभाकर जोशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. ममता देशलहरा
पिता-श्री पुनूराम देशलहरा
निवासी-एम. आई. जी. 66,
गौतम बिहार देवपुरी,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती ममता जोशी
पति-श्री विभाकर जोशी
निवासी-एम. आई. जी. 66,
गौतम बिहार देवपुरी,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सम्पूर्णानन्द शुक्ला आत्मज श्री आशुतोष शुक्ला, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-2सी, स्ट्रीट नं.-35, जोन-2, सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सम्पूर्णानन्द (SAMPURNA NAND), सम्पूर्णानन्द शुक्ल आ. आशुतोष शुक्ल, सम्पूर्णानन्द शक्ल, सम्पूर्णानन्द शुक्ला (SAMPURNA NAND) दर्ज है जो कि अपूर्ण तथा अंग्रेजी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम सम्पूर्णानन्द शुक्ला (SAMPURNANAND SHUKLA) आ. श्री आशुतोष शुक्ला (SHRI ASHUTOSH SHUKLA) रख लिया हूँ मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे सम्पूर्णानन्द शुक्ला (SAMPURNANAND SHUKLA) आत्मज श्री आशुतोष शुक्ला (SHRI ASHUTOSH SHUKLA) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सम्पूर्णानन्द
(SAMPURNA NAND)
सम्पूर्णानन्द शुक्ल
सम्पूर्णानन्द शक्ल
पिता-श्री आशुतोष शुक्ल
निवासी-क्वा. नं.-2सी, स्ट्रीट नं.-35, जोन-2,
सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सम्पूर्णानन्द शुक्ला
(SAMPURNANAND SHUKLA)
पिता-श्री आशुतोष शुक्ला
(S/o- SHRI ASHUTOSH SHUKLA)
निवासी-क्वा. नं.-2सी, स्ट्रीट नं.-35, जोन-2,
सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लोकेश घरत आत्मज स्व. जोहरित राम उम्र 26 वर्ष, निवासी-मकान नं.-77/डी, रिसाली सेक्टर, इस्पात क्लब, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम लोकेश दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “घरत” जोड़कर पूर्ण नाम लोकेश घरत रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे लोकेश घरत (Lokesh Gharata) आत्मज स्व. जोहरित राम (Late Johrit Ram) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
लोकेश (Lokesh) पिता-स्व. जोहरित राम (S/o-Late Johrit Ram) निवासी-मकान नं.-77/डी, रिसाली सेक्टर, इस्पात क्लब, सिविक सेंटर भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	लोकेश घरत (Lokesh Gharata) पिता-स्व. जोहरित राम (S/o-Late Johrit Ram) निवासी-मकान नं.-77/डी, रिसाली सेक्टर, इस्पात क्लब, सिविक सेंटर भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनीत सिंह रोहतगी आत्मज श्री जितेन्द्र सिंह क्षत्रिय, उम्र 38 वर्ष, निवासी-G-12, CHPL Dream Homes, स्मृति नगर, भिलाई, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे द्वारा लिये गये विभिन्न कंपनी के शेयर्स प्रमाण पत्रों में मेरा नाम विनीत सिंह क्षत्रिय, विनीत क्षत्रिय, विनीत चटर्जी, विनीत सिंह चटर्जी दर्ज है, मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर, अन्य उपनाम “रोहतगी” जोड़कर नया नाम विनीत सिंह रोहतगी (Vineet Singh Rohatgi) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे विनीत सिंह रोहतगी (Vineet Singh Rohatgi) आत्मज श्री जितेन्द्र सिंह क्षत्रिय (Shri Jitendra Singh Chatterjee) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
विनीत सिंह क्षत्रिय (Vineet Singh Chatterjee) विनीत क्षत्रिय, विनीत चटर्जी (Vineet Chatterjee, Vineet Chatterjee) विनीत सिंह चटर्जी (Vineet Singh Chatterjee) पिता-श्री जितेन्द्र सिंह क्षत्रिय (S/o- Shri Jitendra Singh Chatterjee) निवासी-G-12, CHPL Dream Homes, स्मृति नगर, भिलाई, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	विनीत सिंह रोहतगी (Vineet Singh Rohatgi) पिता-श्री जितेन्द्र सिंह क्षत्रिय (S/o- Shri Jitendra Singh Chatterjee) निवासी-G-12, CHPL Dream Homes, स्मृति नगर, भिलाई, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शम्भू कुमार यादव आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव, उम्र 39 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं.-9, स्ट्रीट नं.-8 आशिष नगर (ईस्ट), रिसाली, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम SHAMBHU KUMAR आत्मज LAXMAN PRASAD दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम लक्ष्मण प्रसाद यादव है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “यादव” जोड़कर पूर्ण नाम शम्भू कुमार यादव रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे शम्भू कुमार यादव (SHAMBHU KUMAR YADAV) आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव (SHRI LAXMAN PRASAD YADAV) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
SHAMBHU KUMAR पिता-SHRI LAXMAN PRASAD निवासी-प्लॉट नं.-9, स्ट्रीट नं.-8 आशिष नगर (ईस्ट), रिसाली, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	शम्भू कुमार यादव (SHAMBHU KUMAR YADAV) पिता- श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव (S/o-SHRI LAXMAN PRASAD YADAV) निवासी-प्लॉट नं.-9, स्ट्रीट नं.-8 आशिष नगर (ईस्ट), रिसाली, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार बंजारे आत्मज श्री लखन लाल बंजारे, उम्र 39 वर्ष, निवासी-42/ए, रिसाली सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम विजय कुमार (Vijay Kumar) आ. लखन लाल (Lakhan Lal) दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम लखन लाल बंजारे (Lakhan Lal Banjare) है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “बंजारे” जोड़कर नया नाम विजय कुमार बंजारे रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे विजय कुमार बंजारे (Vijay Kumar Banjare) आत्मज श्री लखन लाल बंजारे (Shri Lakhan Lal Banjare) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
विजय कुमार (Vijay Kumar) पिता-श्री लखन लाल (S/o-Shri Lakhan Lal) निवासी-42/ए, रिसाली सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	विजय कुमार बंजारे (Vijay Kumar Banjare) पिता-श्री लखन लाल बंजारे (S/o-Shri Lakhan Lal Banjare) निवासी-42/ए, रिसाली सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2020

संशोधित आदेश

क्रमांक/परि./2020/1074.—वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/616 दिनांक 20-02-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री श्रीकांत शुक्ला सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री एस.आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को गिट्टी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. नेवरा विकास खण्ड कोटा पं. क्र. 3738 का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2020

संशोधित आदेश

क्रमांक/परि./2020/1076.—वस्तुतः इस कार्यालय के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अतुल कुमार सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री मनीष वर्मा सहकारी निरीक्षक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	विकासखंड
1.	रेत खदान सहकारी समिति मर्या. तुरकाडीह	3372/26-7-1997	तखतपुर
2.	आदिवासी रेत खदान सहकारी समिति मर्या. लमेर	3874/28-7-97	तखतपुर
3.	रेत खदान सहकारी समिति मर्या., लोखण्डी	3833/	तखतपुर

यह आदेश आज दिनांक 26-6-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक/परि./2020/1104.—प्रेरणा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. तालापारा बिलासपुर पं. क्र. 349 दिनांक 23-04-2016, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं करने विगत वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 तक का अंकेक्षण कराने बाबत अंकेक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के कारण संस्था को परिसमापन में लाने हेतु छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2020/252 दिनांक 03-02-2020 एवं पत्र क्रमांक/539 दिनांक 02-03-2020 को दिया गया था. संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इससे यह प्रतीत होता है संस्था उक्त कार्य कराने में विशेष रूचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुये प्रेरणा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. तालापारा बिलासपुर पं. क्र. 349 दिनांक 23-04-2016 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नीतिन घोरे सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक/परि./2020/1105.—दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 61 दिनांक 15-05-89, विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कई वर्ष 2006-07 से वर्ष 2019-2020 तक अंकेक्षण लंबित रहने के कारण परिसमापन में लाने हेतु छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2019/1440 दिनांक 10-10-2019 एवं पत्र क्रमांक 538 दिनांक 02-03-2020 के द्वारा दिया गया था. संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इससे यह प्रतीत होता है संस्था उक्त कार्य कराने में विशेष रूचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुये दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 61 दिनांक 15-05-89 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नीतिन घोरे सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक/परि./2020/1106.—मां आदिशक्ति साख सहकारी समिति मर्या. अरविन्द नगर बिलासपुर पं. क्र. 200 दिनांक 02-11-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं करने विगत 02 वर्ष से (वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक) अंकेक्षण कराने बाबत अंकेक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के संस्था को परिसमापन में लाने हेतु छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2020/540 दिनांक 02-03-2020 को दिया गया था. संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इससे यह प्रतीत होता है संस्था उक्त कार्य कराने में विशेष रूचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुये आदिशक्ति साख सहकारी समिति मर्या. अरविन्द नगर बिलासपुर पं.क्र. 200 दिनांक 02-11-2005 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नीतिन घोरे सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय,
उप पंजीयक.

**छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन
लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)**

मुंगेली, दिनांक 10 फरवरी 2020

क्रमांक/सी.जी.सी.एस.पी.ई/2020/फरवरी/शासकीय/प्रकाशन/04.—छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.) के छत्तीसगढ़ राजपत्र के भाग 3(1) में प्रकाशित काउंसिल स्थापना के मुख्य उद्देश्यिका 2019 पेज क्र. 25, 26 के नियम 04 के उपनियम XIII के अन्तर्गत कोबसे मेंबर बोर्ड/काउंसिल/विवि को पारस्परिकता के आधार समकक्षता हेतु सहमति प्राप्त हुआ है।

01. यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्र. सा/का/1067/2013 लोरमी, दिनांक 15-12-2013 के माध्यम से वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान को पारस्परिकता के आधार पर समकक्षता प्रदान करने के संबंध में लेख किया गया।
02. यह कि वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान द्वारा अपने पत्र क्र. शै./समकक्षता/2013-14 4444 दिनांक 02-01-2014 के माध्यम से पारस्परिकता के आधार पर समकक्षता प्रदान करते हुए काउंसिल से समकक्षता चाही गयी, उक्त पत्र के परिपालन में काउंसिल द्वारा वनस्थली विद्यापीठ को पारस्परिकता के आधार पर समकक्षता पत्र क्र. सा/का/1081/2014 लोरमी दिनांक 17-01-2014 द्वारा प्रदान किया गया और पारस्पर एक दुसरे के सेकेंडरी एवं सिनियर सेकेंडरी परिक्षाओं को समकक्ष मान्य किया गया।
03. साथ ही वनस्थली विद्यापीठ द्वारा काउंसिल को संबोधित पत्र क्र. शै./समकक्षता/2013-14 3008 दिनांक 28-09-2013 द्वारा निम्नलिखित बोर्ड/काउंसिल से समकक्षता प्राप्त होना उल्लेखित किया है :-
 - I. सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली,
 - II. काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली,
 - III. सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल,
 - IV. हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड, भिवानी,
 - V. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली,
 - VI. असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, गुवाहाटी,
 - VII. काउंसिल आफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, भुवनेश्वर,
 - VIII. त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला,
 - IX. बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर,
 - X. गोवा बोर्ड आफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पोरबोरिम,
 - XI. बोर्ड आफ सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पुणे,
 - XII. नेशनल ओपन स्कूल, दिल्ली,
 - XIII. बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर,
04. यह कि छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन द्वारा अपने कार्यालयीन फाइल संख्या-सीजीसीएसपी/जनवरी/समकक्षता/सा/15, दिनांक 20-01-2020 के माध्यम से दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पारस्परिकता के आधार पर समकक्षता प्रदान करने के संबंध में लेख किया गया।
05. यह कि दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा उ.प्र. द्वारा पत्र क्र. डीईआई/जीएनपी-35/2785 दिनांक 12-02-2020 के द्वारा पारस्परिकता के आधार पर समकक्षता लेना स्वीकार किया और पारस्पर एक दुसरे के सेकेंडरी एवं सिनियर सेकेंडरी परिक्षाओं को समकक्ष मान्य किया गया।
06. यह कि कोबसे की वेब साइट को विजिट किये जाने पर वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली राजस्थान एवं दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा उ.प्र. कोबसे की मेंबर होना पाया गया।

मुंगेली, दिनांक 10 फरवरी 2020

क्रमांक/सी.जी.सी.एस.पी.ई./2020/फरवरी/शासकीय/प्रकाशन/06.—छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.), लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, नया रायपुर के पत्र क्र./स्था./टी. संवर्ग/2020/38 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 12-02-2020 के अनुपालन में काउंसिल में एवं काउंसिल से संबंधित सभी संस्थाओं में आपत्तिजनक शब्द हरिजन का उपयोग नहीं किया जावेगा. साथ ही किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का उपयोग काउंसिल के सभी अभिलेखों एवं अध्ययन सामग्री में भविष्य में उक्त प्रतिबंधित शब्द का उपयोग ना करना काउंसिल के सभी अधिनस्थ एवं संबद्ध सभी संस्थान सुनिश्चित करेंगे.

डी. पी. जोशी,
सचिव.